F. No. 8-62/99- FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

81

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003.
Dated: 26th May, 2009.

To

The Principal Secretary (Forests),
Forest and Revenue Department,
Government of Uttarakhand,
Dehradun.

Sub: Renewal of permission over 1325.00 ha of forest land for collection of sand, bajri and boulders from river beds in district Dehradun, Uttarakhand.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Uttarakhand's letter No. 5609/14-2-98-500(64)/1998 dated 07th May, 1999 and Nodal Officer's letter No. 626/11C-977 (Dehradun) dated 29th August, 2006 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under Section-3 of the said Act, in-principle approval for the said proposal was granted vide this Ministry's letter of even number dated 22nd September, 2008 subject to fulfilment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the PCCF vide letter 1253/11C-977(Dehradun) dated 17th September, 2008, approval of the Central Government is hereby granted under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for renewal of permission over 1325.00 ha of forest land for collection of sand, bajri and boulders from river beds in district Dehradun, Uttarakhand, subject to fulfilment of the following conditions:-

(i). The legal status of forest land shall remain unchanged.
(ii). 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area.
(iii) Compensatory Afforestation will be raised over 1325.00 ha of degraded forest land over approved period of 10 years @ 132.50 ha of plantation/treatment each year, from the funds so collected/realised from sale of the materials.

(iv) The User Agency will undertake to pay NPV as per the orders of Hon'ble Supreme Court of India in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995.

(v) Adequate number of temporary check posts will be established at entry and exit points before start of work and proper record of material collected and removed will be maintained.

(vi) Extraction of material should be from the middle of the river bed after leaving one-fourth of the river bed on each bank untouched.

(vii) There shall be no labour camp in the forest area for the labour involved in the extraction work.

(viii) No explosive shall be used while extracting the material and only hand-tools will be used for the collection of boulders, bajri, etc.

(ix) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.

(x) Breaking of boulders will be done outside the forest boundaries.

(xi) The labourers engaged in collection work will be provided free fuelwood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest areas.

(xii) There shall be no extraction of material from the river beds during monsoon period, i.e., from June to October each year.

(xiii) The forest area shall not be used for any other purpose other than that specified in the proposal.

(xiv) Any other conditions that the CCF(C), Regional Office, Lucknow may impose from time to time in the interest of Afforestation and protection of flora and fauna in that area shall also be valid.

Yours faithfully

(B. K. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, Dehradun.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Lucknow
4. User Agency
5. Monitoring Cell, Ministry of Environment and Forests
6. Guard File.

(B. K. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

संख्या [illegible]/VII-1/123-ख/2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 नवम्बर, 2011

विषय: जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत बहने वाली नदी सौंग–1 व सौंग–2 से उपखनिज के चुगान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड, देहरादून के पत्र संख्या उ0–3533/32–29, दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत बहने वाली सौंग नदी–1 के 112.50 हैक्टेयर एवं सौंग नदी–2 के 136.50 हैक्टेयर क्षेत्रफल में [illegible] की अवधि हेतु उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर का चुगान किये जाने की अनुमति उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त नदियों से उपखनिजों के चुगान [illegible] सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली आदेश [illegible] 11015/339/2009-IA.II(M) दिनांक 10.02.2011 एवं आदेश संख्या 11015/340/2009-IA.II(M) दिनांक 10.02.2011 एवं पर्यावरण [illegible] मंत्रालय, भारत सरकार के वन्य जीव डिवीजन के आदेश संख्या 6-43/20[illegible] (XIII), दिनांक 10.05.2011 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.

3– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त नदियों से उपखनिजों के [illegible] उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड [illegible] यूईपीपीसीबी/आरओडी/एनओसी–देहरादून–3188/11/577 दिनांक [illegible] पत्रांक यूईपीसीबी/आरओडी/एनओसी–देहरादून–3188/11/578 [illegible] 2011में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, [illegible] संरक्षण अधिनियम, 1936 के अधीन अन्य संगत अधिनियमों के [illegible] दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/

5– निगम चुगान कार्य से किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगा। यदि वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है या पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा देय होगा।

6– उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो उक्त भूमि अथवा उसका ऐसा भाग, जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए यथा स्थिति वापस हो जायेगी।

7– वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी या उनके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8– कथित वन क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचाये, इसके लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उन्हें ईंधन की लकड़ी अथवा उन्हें ईंधन की सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।

9– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

10– उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भू–क्षरण रोकने व प्रश्नगत नदियों के तटबन्धों के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा। वन विभाग द्वारा वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से रीवर ट्रेनिंग व अन्य [illegible] अभियांत्रिक कार्य सम्पादित किये जायेंगे। नदी तल से निकाले जाने वाले [illegible] विकय से प्राप्त राजस्व का 25 प्रतिशत भाग रीवर ट्रेनिंग एवं जल [illegible] कार्यों हेतु व्यय किया जायेगा। नदी तटों का उपचार वन विभाग द्वारा [illegible] कार्यों के अनुरूप कराया जायेगा व यदि आवश्यक हो, तो केन्द्रीय मृदा [illegible] संस्थान, देहरादून का तकनीकी परामर्श भी प्राप्त किया जायेगा।

11– प्रश्नगत क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए वन क्षेत्र के अन्दर [illegible] श्रमिक हट स्थापित नहीं किये जायेंगे।

12– उपखनिजों का चुगान नदी के मध्य में किया जायेगा तथा नदी के [illegible] तल का 1/4 भाग छोड़ा जायेगा।

13– प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान हेतु किसी भी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जायेगा व चुगान कार्य केवल हैण्ड टूल्स द्वारा ही किया जायेगा।

14– प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान का कार्य सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के [illegible] किया जायेगा।

15– बोल्डर तोड़ने का कार्य वन सीमा से बाहर किया जायेगा।

16– प्रश्नगत क्षेत्र से उपखनिजों के चुगान का कार्य वर्षा ऋतु के दौरान [illegible] सितम्बर तक नहीं किया जायेगा।

17– खनन पट्टा की स्वीकृति के पश्चात् उक्त स्थल का सीमांकन [illegible] के अधिकारियों द्वारा राजस्व एवं वन विभाग के [illegible] जायेगा।

18- किसी सार्वजनिक विनोदस्थल, समशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला स्थान, मकान अथवा ग्रामस्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान जो जिलाधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया गया हो, ऐसे स्थानों पर न तो कोई चीज खड़ी की जायेगा न ही स्थापित की जायेगी और न ही कोई सतह संकियायें की जायेंगी, जिससे किसी भवन, भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारियों को क्षति पहुंचे।

19- पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या अन्य प्रयोजनों के निर्मित कोई ऐसी भूमि, सतह संकियाओं के लिए प्रयुक्त नहीं की जायेगी जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल में पहले से ही हो।

20- किसी भी मार्ग का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

21- उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उप-खनिजों के निकय से प्राप्त धनराशि से अवन वन भूमि पर 10 वर्षो की अवधि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। वन विभा द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये वृक्षारोपण का आगामी पॉच वर्षो तक रख-रखाव कि जायेगा।

22- प्रस्तावित क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने से पूर्व प्रवेश वं निकासी मार्गों पर पर्याप्त संख में अस्थाई चैक-पोस्ट स्थापित किये जायेगे। निकासी किये जाने वाले उपखनिजों उचित अभिलेखों का रख रखाव उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

23- वन विकास निगम द्वारा उप खनिज की निकासी की मात्रा पर निर्धारित रायल्टी आ नियमानुसार जमा किया जायेगा।

24- उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम-73 के अनुसार प्रपत्र एम0एम0-12 त्रैमासिक विवरण जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई प्रेषित की जायेगी।

25- इसके अतिरिक्त इस हेतु जो भी शर्तें स्थानीय ज़िला प्रशासन तथा भूतत्व एवं खनि इकाई द्वारा निर्धारित की जायेंगी, का अनुपालन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कि जायेगा।

26- उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त नदियों से उपखनिजों के चुगान हेतु विभाग/अन्य प्राधिकारियों को प्रदत्त समस्त वचनबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित कि जायेगा।

27- निगम द्वारा उपखनिजों के चुगान हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड संस्तुतियों व उनके द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कि जायेगा।

पृष्ठांकन संख्या: 2177 (1)/VII-I/123-ख/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
9- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)

अपर सचिव

संख्याः 59 /VII-1/17/123-ख/201

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

देहरादून : दिनांक 16 मार्च, 2017

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विषयः जनपद देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित खनन लाट सौंग नदी–3, जाखन नदी–1 ए जाखन नदी–2 में उपखनिज के चुगान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के प संख्या–916/खनन/दे0दून/भू0खनि0ई0/2016–17 दिनांक 30 जनवरी, 2017 के संबंध में मुझे यह कहने क निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–08-62/99-FC दिनांक 26 मई, 200 के द्वारा जनपद देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित खनन लाट सौंग नदी–3 कुल क्षेत्रफल 270 है0 मध 135 है0, जाखन नदी–1 कुल क्षेत्रफल 195 है0 मध्ये 97.5 है0 एवं जाखन नदी–2 कुल क्षेत्रफल 100 है0 मध्ये 50 00 है0 क्षेत्र में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्ग Forest Clearance 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 25.05.2019 तक अनुमति प्रदान की गयी है, के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–490/VII-1/2012/123–ख/2011 दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के द्वारा उक्त खनन लाटों 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिजों के चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को कतिपय शर्तों के अधी अनुमति प्रदान की गयी, जो दिनांक 02.04.2017 को समाप्त हो रही है।

2– उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि विस्तारित किये जाने का प्रावधान न होने के कारण शासनादेश संख्या–490/VII-1/ 2012/123–ख/201 दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के द्वारा जनपद देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित खनन लाट सौंग नदी– कुल क्षेत्रफल 270 है0 मध्ये 135 है0, जाखन नदी–1 कुल क्षेत्रफल 195 है0 मध्ये 97.5 है0 एवं जाखन नदी– कुल क्षेत्रफल 100 है0 मध्ये 50.00 है0 क्षेत्र में 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो के पश्चात् वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्ग निर्गत Forest Clearance 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 25.5.2019 तक होने के दृष्टिगत दिनांक 03.04.2017 दिनांक 25.05.2019 तक उक्त शासनादेश दिनांक 03 अप्रैल, 2012 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा उत्तराख उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने के अधीन उपखनि का चुगान कार्य करने की अनुमति उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रदान की जाती है।

3– यह अनुमति दिनांक 03.04.2017 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उ0व0वि0नि0, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र0 1005 दिनांक 18/03/17

संख्याः 59 (1)/VII-1/17/123–ख/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव